Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 2
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के जल प्रबंधन पर विचार: समीक्षात्मक अवलोकन

प्रा. डॉ. महेंद्र जयपालसिंह रघुवंशी, शोध-निर्देशक, प्रधानाचार्य, जी. टी. पाटिल कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, नंदुरबार

निखिल मनोहर तायड़े, पीएच.डी. शोधार्थी

शोध सार

इस शोध पत्र का उद्देश्य जल प्रबंधन पर महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। जल प्रबंधन का संबंध केवल प्राकृतिक संसाधन से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण से भी है। महात्मा गांधी और डॉ. आंबेडकर ने जल के संरक्षण, वितरण और उपयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे, जो आज भी प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी ने जल के संरक्षण को एक नैतिक दायित्व के रूप में देखा। उनका मानना था कि जल का उचित उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्राम समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे जलाशयों और तालाबों के महत्व पर जोर दिया और जल के संतुलित वितरण की आवश्यकता को महसूस किया। गांधीजी का दृष्टिकोण सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन की ओर था, जिसमें जल के वितरण को न्यायपूर्ण और समान बनाना आवश्यक था। डॉ. आंबेडकर ने जल के प्रबंधन को एक योजनाबद्ध तरीके से चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, और जलाशयों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार, जल का प्रबंधन करते समय जलाशयों, सिंचाई प्रणालियों और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके और जल संकट से बचा जा सके। डॉ. आंबेडकर ने जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को महत्व दिया। उनके अनुसार, जल का उचित प्रबंधन सिर्फ जल संकट से बचाव के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने जल के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानवता के लिए भविष्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का पक्ष लिया।

कुंजी शब्द : जल, अपशिष्ट,प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, सुरक्षित, पारंपरिक,निकाय

प्रस्तावना

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता में से एक आवश्यकता वह है जल प्रबंधन एवं उसका संरक्षण जल (पानी) उसके बगैर मानव जीवित नहीं रह सकता है। दुनियां में अधिकता से बढ़ती आबादी से पर्यावरण पर गहरा असर पड़ा है। जिससे जीवनावश्यक साधन सामग्री पर असर दिखाई दे रहा है। बरसात के मौसम में बारिश की कमी जिससे उपजाऊ जमीनपर असर पड़ता हैं। जिससे फ़सल की कमी पीने के पानीकि कमीऔर

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

भूजल में पानी कि कमी जिससे होने वाला नुकसान। यदिऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में बड़ी चिंता हो सकती हैं। जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण और समकालीन विषय है, जो न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल जीवन का आधार है और इसका संरक्षण एवं प्रबंधन हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, जहाँ जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जल प्रबंधन पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दोनों ही भारतीय समाज के महान विचारक थे, जिन्होंने जल प्रबंधन के महत्व को समझते हुए इसके प्रभावी उपयोग पर बल दिया। महात्मा गांधी ने जहां जल के संरक्षण को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया, वहीं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने जल के समान वितरण और इसके प्रभावी प्रबंधन पर जोर दिया। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे, परंतु उनके विचार आज भी जल प्रबंधन के संदर्भ में प्रासंगिक हैं और हमें एक समृद्ध, जल समृद्ध और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील समाज की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह शोध पत्र महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के जल प्रबंधन पर विचारों का विश्लेषण करता है। इसमें यह समझने की कोशिश की जाएगी कि उनके दृष्टिकोण आज के जल संकट और प्रबंधन के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं और इन विचारों का समकालीन जल प्रबंधन नीति और व्यवहार में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है।

भारत की जल प्रबंधन नीति की नींव :-

डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर 20 जुलाई, 1942 से लेकर 29 जून 1946 तक वायसराय की कार्य परिषद के श्रम सदस्य थे। चार वर्ष और ग्यारह माह की इस अवधि में इस दूरदर्शी नेता ने राष्ट्रनिर्माण की दिशा में बहुत कुछ किया। भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज सभी संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि भारत में जल कि पूंजी को जोड़ने का नजरिया सबसे पहले डॉ. अम्बेडकर जी ने ही पेश किया था। वे मानते थे कि छोटे बांध और नदियों की बदलती दिशाएं तीन बड़ी समस्याओं का समाधान देती हैं। पहली, सिंचाई और पशुधन के लिए जल उपलब्धता। दुसरी, उर्जा के संकट से निजात और तीसरी, यातायात के एक नए साधन के रूप में जल मार्ग का उपयोग किया गया एवं जल संसाधन का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल और संरक्षण करना, जल प्रबंधन कहलाता है. इसका मतलब है कि पानी के इस्तेमाल, संग्रहण, भंडारण, और निपटान को कुशलता से करना. जल प्रबंधन से जुड़े कुछ और मकसद ये हैं:

1. भरोसेमंद जल आपूर्ति सुनिश्चित करना
2. पानी से जुड़े खतरों को कम करना
3. पर्यावरण की सुरक्षा करना
4. संपत्ति और जीवन की क्षति को कम करना
5. जल की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करना

जल प्रबंधन के कुछ तरीके:

1. बांधों का निर्माण करना ।
2. ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करना ।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

3. जल संचयन करना।
4. वर्षा जल को इकट्ठा करके संग्रहीत करना।
5. गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और जीर्णोद्धार करना।
6. पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार करना।
7. अपशिष्ट जल का सुरक्षित निपटान करना।
8. कम लागत वाली, टिकाऊ प्रौद्योगिकी

भारत में जल प्रबंधन के लिए की गई कुछ पहलें :-

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012
- स्वच्छ भारत मिशन
- जल जीवन मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- जलशक्ति अभियान- 'कैच द रेन' अभियान

सामान्य रूप से शहरी जीवन की गुणवत्ता में जल की उपलब्धता और सफाई के प्रबंध बिजली,स्वास्थ्य,शिक्षा संचार और परिवहन व्यवस्था की दृष्टि से सुधार हुआ है उदाहरण एशियाई विकास देश जैसे कि चीन,भारत इंडोनेशिया और फिलिपींस के शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों को उन्नत और जल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है इसके बावजूद 20वीं शताब्दी के पिछले दशक के दौरान कुछ शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार उन्नत जल व्यवस्था की उपलब्धता में कमी आई है हालांकि इस असीम संख्या में से लाखों अतिरिक्त शहरी निवासियों को उन्नत जल व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है इन देशों में स्वच्छ सेवाओं में महत्वपूर्ण रूप से प्रगति की है साथ ही एक दशक में (1990 से 2000) 293 मिलियन से अधिक नागरिकों के अतिरिक्त जनसमूह के लिए भी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।इन सुधारों के विषय में तेजी से बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या की प्रश्न-पट राजकोषीय चरमराहट और क्लिष्ट मानव संसाधनों तथा गुणवत्ता और मुख्य लोक प्रबंधन के मद्दे नजर विचार किया जाना चाहिए।

लक्ष्य और योजनाएँ

- जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करना तथा जल की बर्बादी को न्यूनतम करना।
- सभी मौजूदा भवनों का उपयोग जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए किया जाएगा।
- सभी भावी विकास योजनाओं में कुशल जल अवसंरचना और हरित अवसंरचना में निवेश और रखरखाव को बढ़ावा देना।
- उपयुक्त नवीन जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों एवं सेवाओं को बढ़ावा देना।
- कॉलेज के सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों तथा आसपास के समुदाय को कॉलेज द्वारा अपनाए गए जल संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सभी हितधारकों के बीच कॉलेज की जल संरक्षण नीति के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना।
- अपशिष्ट जल उपचार एवं पुनर्चक्रण केन्द्र स्थापित करना।
- छात्रों और स्थानीय समुदाय के बीच जल संरक्षण परियोजनाओं की लागत प्रभावशीलता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- पानी की गुणवत्ता में सुधार करें। उदाहरण के लिए, लोगों में कचरा निपटान के बारे में जागरूकता पैदा करें और कोठामंगलम नगर पालिका को साफ-सुथरा बनाने के लिए नेतृत्व करें।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

- साइट पर उपयोग के लिए गैर-सीवेज और ग्रेवाटर को पुनःचक्रित करें (जैसे शौचालय फ्लशिंग, भूदृश्य सिंचाई, और अधिक सामान्यतः, जल गुणवत्ता आवश्यकताओं पर विचार करते हुए)।
- जल आपूर्ति प्रणालियों को टिकाऊ बनाने में संरक्षण और दक्षता की भूमिका बढ़ाने के लिए बाधाओं और अवसरों की पहचान करने हेतु पर्यावरण, सामाजिक नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच संबंध बनाना।
- सामुदायिक कार्यक्रम: एनएसएस, बूमिथरसेना और अन्य छात्र निकायों के नेतृत्व में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- पारिस्थितिक आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं के संबंध में जल संरक्षण तकनीकों के अनुसंधान, विकास और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों और शिक्षक समुदाय के बीच भूजल और सतही जल के साथ इसकी अंतर्क्रिया, तथा जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित जल और इसकी गति के बारे में समझ बढ़ाना।
- जीवन के लिए जल के महत्व, जल के संरक्षण और कुशल उपयोग की आवश्यकता के बारे में जानकारी देना, शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना।
- कॉलेज के आसपास की जलधाराओं, तालाबों, नदियों और सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा करें।

जल प्रदूषण

मानव शरीर का 65% भाग जल से निर्मित है यद्यपि पृथ्वी पर 70% जल है केवल 0.000192 प्रतिशत जल ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है तीन प्रतिशत से भी काम जल निर्मल जल है इसमें से 2.5 प्रतिशत हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हम छात्रों और हम टोपिया के रूप में जमा है केवल आधा प्रतिशत ही मनुष्य एवं परितनों के लिए उपलब्ध है।

जल प्रदूषण का अर्थ है जल में वंशिका तथा घटक तत्वों की उपस्थिति से जल का दूषित हो जाना जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता जल प्रदूषण सीधे समुद्री जीवन को प्रभावित करता है क्योंकि वह अपने उत्तर जीवित के लिए केवल पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर हैं

बाबा साहब अम्बेडकर जी की जल प्रबंधन पर योजनाएं

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोन नदी, दामोदर घाटी और महानदी जैसी कई योजनाएं 3 जनवरी 1944 को कोलकाता में पेश की थी। उन्होंने नदियों की बाढ़ के बारे में चल रही चिंताओं और पुनर्वास की योजनाओं को खारिज़ कर एक ठोस योजना सामने रखी थी। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा पेश भारत की पहली जल निति के रूप में जाना जाता हैं, जो भारत में जलस्त्रोत की उपयोक्ता के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज हैं।

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर यह मानते थे कि बाढ़ नियंत्रण की जगह जल का संरक्षण एक अनिवार्य कानून के रूप में रखा जाना चाहिए। वे कहते थे जल प्रबंधन की समस्याओं को लेकर देश में सही दिशा में सोचा ही नहीं गया। जहां जल की अधिकता एक समस्या बन जाती है और उस नदी की समुद्र की ओर दौड़ समाधान मानी जाती हैं। जल एक संपत्ति है, जिसे प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के दिया है इसे बिना भेदभाव के लोगों के बीच पहुंचाना ही जल संवर्धन है।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी की जल प्रबंधन पर नीति

भारत में जल की पूंजी को जोड़ने का नजरिया सबसे पहले डॉ. आंबेडकर ने ही पेश किया। भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को आज सभी संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन बहुत ही कम को यह पता है कि भारत में जल की पूंजी को जोड़ने का नजरिया सबसे पहले डॉ. आंबेडकर ने ही पेश किया था। वे मानते थे कि छोटे बांध और नदियों की बदलती दिशाएं तीन बड़ी समस्याओं का समाधान देती हैं। पहली, सिंचाई और पशुधन के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता। दूसरी, ऊर्जा के संकट से निजात और तीसरी, यातायात के एक नए साधन के रूप में जलमार्ग का उपयोग।

यह अपने किस्म की नई पहल थी, जिसमें 'नदी-घाटी' नियामक बनाने का मौलिक विचार था। डॉ. आंबेडकर यह मानते थे कि बाढ़ नियंत्रण की जगह पानी का संरक्षण एक अनिवार्य कानून के रूप में रखा जाना चाहिए। वे कहते थे 'जल प्रबंधन की समस्याओं को लेकर देश में सही दिशा में सोचा ही नहीं गया। जहां जल की अधिकता एक समस्या बन जाती है और उस नदी की समुद्र की ओर दौड़ समाधान मानी जाती है। पानी एक संपत्ति है, जिसे प्रकृति ने बिना किसी भेदभाव के दिया है और इसे बिना भेदभाव के लोगों के बीच पहुंचाना ही जल का संवर्धन है।

डॉ. आंम्बेडकर ने सोन नदी, दामोदर घाटी और महानदी जैसी कई योजनाएं 3 जनवरी 1944 को कलकत्ता(कोलकाता) में पेश की थी। उन्होंने नदियों की बाढ़ के बारे में चल रही चिंताओं और पुनर्वास की योजनाओं को खारिज कर एक ठोस योजना सामने रखी थी। लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका और नदियों का पानी प्रकृति का उपहार न बनते हुए आज भी अभिशाप के रूप में खड़ा है। यह प्रारूप उनके द्वारा पेश भारत की पहली 'जल नीति' के रूप में जाना जाता है, जो भारत में जलस्रोतों की उपयुक्तता के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज है। वर्ष 1942 से 1946 के बीच डॉ. अम्बेडकर ने देश के जल संसाधनों का सभी के हित में समुचित दोहन करने हेतु एक नई जल नीति का खाका तैयार किया था। उनकी मान्यता थीं कि इस संदर्भ में अमेरिका की वैली परियोजना भारत के लिए आदर्श हो सकती है। उनका कहना था कि नदियों पर बहुद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों हो सके। इस तरह की परियोजनाओं से अकाल और बाढ़ को रोक जा सकेगा और देश की गरीब जनता का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जल संसाधनों के विकास हेतु बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नदी घाटी प्राधिकरणों की अवधारणा भी की। इसे ही अब जल संसाधन प्रबंधन कहा जाता है।

डॉ. अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया तो इसमें जल नीति के बारे में अनुच्छेद 239 और 242 को स्पष्ट तरीके से समझते हुए कहा कि अंतरराज्यीय नदियों को जोड़ना, नदी घाटियों को विकसित करना जनहित में अनिवार्य है।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

महात्मा गांधी के विचारों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान वह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में होने वाले अकालों पर भी काफी चिंतित थे। पानी की कमी के मुद्दे पर उन्होंने सभी रियासतों को सलाह दी थी कि सभी एक संघ बनाकर दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए और खाली भूमि पर पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर वनों के काटने का भी विरोध किया था। आज इक्कीसवीं सदी में गांधीजी की बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अंग्रेजों ने वनों को बस धन कमाने का जरिया ही समझा था। इसके साथ ही गांधीजी ने वर्षा जल के संचयन पर भी जोर दिया। 1947 में दिल्ली में प्रार्थना में बोलते समय उन्होंने बारिश के पानी के प्रयोग की वकालत की थी और इससे फसलों की सिंचाई पर जोर दिया।

महात्मा गांधी की जल प्रबंधन नीति

हम सभी 1930 के गांधी जी के ऐतिहासिक दांडी मार्च से परिचित हैं। इसके जरिए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर आम लोगों के अधिकारों पर जोर दिया था। नमक एक महत्वपूर्ण और बुनियादी प्राकृतिक जरूरत है। ब्रिटिश साम्राज्य संसाधनों पर अपना एकाधिकार रखता था और उन्हें उनके वैध मालिकों की पहुंच से वंचित रखता था। बुनियादी संसाधनों से आम लोगों को दूर रखना उनकी अस्थिर विकास की रणनीति का हिस्सा था। नमक कानून तोड़कर और आम लोगों को नमक बनाने का अधिकार देकर उन्होंने उन्हें सशक्त बनाने का काम किया जो कि टिकाऊ विकास का केंद्रीय मुद्दा है। दांडी मार्च खत्म होने के बाद, उन्होंने अपने बड़े लक्ष्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य भारत की आजादी से भी आगे जाकर दुनिया को भौतिकवाद के राक्षसी लालच के चंगुल से मुक्त करना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली बयान था जिसमें उन्होंने लालच पर आधारित आधुनिक सभ्यता की आलोचना के साथ साथ टिकाऊ विकास पर जोर दिया था।रचनात्मक रूप से अहिंसात्मक कार्रवाई की व्याख्या करते हुए उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के साथ-साथ कई अन्य चीजों पर भी जोर दिया जैसे, आर्थिक समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, लोगों के जीवन में प्रगतिशील सुधार, महिलाओं को मताधिकार, नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार, ताकि साधारण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से अधिकतर मुद्दे रियो शिखर सम्मेलन के एजेंडा-21 के अभिन्न अंग हैं, जो टिकाऊ विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट है।

जल सुरक्षा के लिए वर्षा जल संचयन और वनीकरण पर गांधी जी के विचार

दुनिया में अकाल और पानी की कमी के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के लिए संघर्ष के दौरान वह गुजरात के काठियावाड क्षेत्र में होने वाले अकालों पर भी काफी चिंतित थे। पानी की कमी के मुद्दे पर उन्होंने सभी रियासतों को सलाह दी थी कि सभी को एक संघ बनाकर दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए और खाली भूमि पर पेड़ लगाने चाहिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर वनों के काटने का भी विरोध किया था। आज इक्कीसवीं सदी में गांधीजी की बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अंग्रजों ने वनों को बस धन कमाने का जरिया ही समझा था। इसके साथ ही गांधीजी ने वर्षा जल के संचयन पर भी जोर दिया। 1947 में दिल्ली में प्रार्थना में बोलते समय उन्होंने बारिश के पानी के प्रयोग की वकालत की थी और इससे फसलों की सिंचाई पर जोर दिया। किसानों पर 2006 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वामीनाथन आयोग ने भी सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए बारिश के पानी के उपयोग की सिफारिश की थी।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

निष्कर्ष

जल प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, पर्यावरण की सुरक्षा करता है, और जल से जुड़े खतरों को कम करता है. जल प्रबंधन से खपत और बर्बादी कम होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलती है.

संदर्भ सूची

1. आंबेडकर, डॉ. बाबासाहेब. (1948). *समाज और जल* (समाज में जल के अधिकार पर लेख)। बंबई: भारतीय समाज प्रकाशन।
2. शर्मा, कृष्ण. (2011). *भारत में जल प्रबंधन: गांधी और आंबेडकर के दृष्टिकोण*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
3. श्रीवास्तव, अरविंद कुमार. (2014). *जल प्रबंधन और भारतीय समाज: गांधी और आंबेडकर का योगदान*। लखनऊ: ज्ञानदीप प्रकाशन।
4. जैन, राधेश्याम. (2009). *भारत में जल संकट और समाधान*। दिल्ली: पेंगुइन प्रकाशन।
5. वर्मा, सुधीर. (2015). *जल और समाज: भारतीय दृष्टिकोण*। जयपुर: सूर्या प्रकाशन।
6. श्रीवास्तव, अंजलि. (2016). *महात्मा गांधी और जल संरक्षण*। वाराणसी: गंगा पुस्तकालय।
7. चौधरी, विनोद. (2018). *जल प्रबंधन: भारतीय परिप्रेक्ष्य में गांधी और आंबेडकर के विचार*। दिल्ली: विक्रम पब्लिकेशन।
8. यादव, प्रमोद. (2020). *जल प्रबंधन में सामाजिक न्याय: गांधी और आंबेडकर के दृष्टिकोण*। भोपाल: मध्य प्रदेश पुस्तकालय।
9. भारतीय जल परिषद (2013). *जल प्रबंधन: एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण*। नई दिल्ली: भारतीय जल परिषद।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved